


फर्द अहकाम
(नियम 26)

ज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप (फलोदी)
चन्दनसिंह पुत्र अचलसिंह बनाम चैनसिंह पुत्र धुकसिंह वगैरा.
क्रम मुकदमा 75 आर.एल.आर.ए मु.नं. 04/2024 सन.....

शेख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
0-2024	<p>राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का अपीलांत द्वारा जरिये अधिवक्ता विरुद्ध रेस्पोंडेंट के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता अपीलांत की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन बहस पर मनन करने पर पाया गया कि अपीलांत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रकरण प्रथम दुष्टया अपूर्णनीय क्षति का प्रतीत होता है अतः ग्राम बारू के खसरा नंबर 868 रकबा 31.9216 हैक्टेयर में से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से 1145/3944 हिस्सा तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध रेस्पोंडेंट संख्या 1 व अन्य के इस आशय की जारी की जाती है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 व अन्य उक्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त स्थगन आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि वकील अपीलांत द्वारा जबाव पेश होने पर बहस हेतु एक से अधिक बार समय मांगने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे। अधिवक्ता अपीलांत, रेस्पोंडेंट की तलबी जरिये रजि. एडी. से करवाकर रसीदे तीन दिवस में पेश करे। पत्रावली दिनांक 30-10-2024 को पेश हो।</p> <p align="right">  उपखण्ड अधिकारी बाप (फलोदी) अधिकारी बाप (फलोदी) </p>	
30/10/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांत उपो रेस्पोंडेंट की तलबी हेतु नेजे नीस्सि की जेउ रसीद पेश की। रेस्पोंडेंट सं. 1 की ओर से वकील श्री डेवी सिंह प्रती ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वास्तु जवाब/अन्तर्गत तलबी दिनांक 05/11/2024 को पेश हो।</p>	
05/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांत उपो रेस्पोंडेंट की तलबी हेतु नेजे नीस्सि की जेउ रसीद पेश की। रेस्पोंडेंट सं. 1 की ओर से वकील श्री डेवी सिंह प्रती ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वास्तु जवाब/अन्तर्गत तलबी दिनांक 08/11/2024 को पेश हो।</p>	
08/11/2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांत व रेस्पोंडेंट 1 उपस्थित वकील अपीलांत प्रार्थना-पत्र 01R10 सीपीसी एवं फर्द/दस्तावेज पेश किए, जिन्हें शामिल मिलल किया गया। वकील अपीलांत</p>	<p>Not press R</p>



ने नोटिफिकेशन में अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।
अतः अपीलान्त की अपील नोटिफिकेशन में खारिज की जाती है।
परमवली फैसल बुमार होकर रज नम्बर से कम होकर का
हममील बाखिल इफ्तार है।
निर्णय आज दिनांक 08/11/2024 को मेरे द्वारा लिखा
जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

~~सहायक कलेक्टर~~
08/11/24
सहायक कलेक्टर
बाप (फरोज़पुर)